

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

सर्वपल्ली डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक नं.5, द्वितीय व तृतीय तल

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-17

फोन: 0141-2700366

E-Mail :- rajssa_acett@yahoo.co.in

क्रमांक: रास्कूशिप/जय/वै.एवं औ.शि./ /लाइ.ग्रान्ट/क्षेत्रीय भाषा/2023-24/ ५७०३ दिनांक : ३१/८/२३

संशोधन/शुद्धिपत्र

परिषद मुख्यालय द्वारा जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EoI) क्रमांक रास्कूशिप/जय/वै.एवं औ.शि./ /लाइ.ग्रान्ट/क्षेत्रीय भाषा/2023-24/ 4220 दिनांक : 16.08.2023 में निम्न संशोधन किये जाते हैं:-

शर्त सं.	EoI में उल्लेखित	संशोधन
19	प्रकाशक द्वारा GST नम्बर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। फर्म को माह मार्च 2023 की GST रिटर्न की प्रस्तुति का प्रमाण पत्र C.A. से प्रमाणित करवाकर (Submit) देना होगा।	आवेदक पर यदि जीएसटी पंजीयन लागू नहीं होता है तो आवेदक इस आशय का सीए द्वारा प्रमाणित (मय सील, रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं यूडीआईएन) शपथ पत्र, ईओआई के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

पुस्तकालय अनुदान समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पुस्तक चयन/क्रय समिति द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा हिन्दी एवं राजस्थानी की कक्षा I से V, कक्षा VI से VIII, कक्षा IX से X एवं कक्षा XI से XII स्तर की पुस्तकें राज्य के समर्त राजकीय विद्यालयों के पुस्तकालयों हेतु क्रय करने निमित्त निजी प्रकाशकों/अकादमियों से उनके प्रकाशनों की एक-एक निःशुल्क नमूना प्रति दिनांक 11.09.2023 तक कार्यालय समय में कार्यालय आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, (कक्ष संख्या 504) चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, डॉ. एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017 में व्यक्तिश :/डाक से प्रस्तुत/प्रेषित करने हेतु सूचित किया जाता है।

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EoI) के संशोधित नियम एवं शर्तों की प्रति संलग्न है।

राज्य परियोजना निदेशक
रा.स्कू.शि.प., जयपुर

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation: State Project Director
Date: 2023.08.31 10:42:58 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4614251



नियम एवं शर्तें

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार समग्र शिक्षा “पढ़े भारत बढ़े भारत” के तहत क्षेत्रीय एवं स्थानीय भाषा हिन्दी एवं राजस्थानी की कक्षा स्तरानुसार I-V, VI-VIII, IX-X, XI-XII स्तर की पुस्तकों राज्य स्तर पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा राज्य के समस्त राजकीय विद्यालय हेतु क्रय की जानी है। अतः इच्छुक निजी प्रकाशकों से उनके प्रकाशनों की विभिन्न कक्षा स्तर (I-V, VI-VIII, IX-X, XI-XII) की हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा की पुस्तकों की एक-एक प्रति (प्रति कक्षा श्रेणी अधिकतम 05 पुस्तकों, समस्त श्रेणी की अधिकतम कुल 20 पुस्तकों) दिनांक 11 सितम्बर, 2023 तक कार्यालय समय में आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल जयपुर स्थित कार्यालय में वाहक स्तर पर या पंजीकृत डाक से स्वयं के व्यय पर प्रेषित/प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अंकित तिथि एवं समय पश्चात व्यक्तिशः या डाक से प्राप्त पुस्तकों पर विचार नहीं किया जायेगा। पुस्तक क्रय की शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. प्रकाशक को आवेदन पत्र के साथ राशि 2,00,000/- (दो लाख) रूपये का अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के नाम देय होगा, सुरक्षा राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि बिन्दु संख्या 21 के अन्तर्गत प्रकाशक द्वारा जमा कराई जाने वाली प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी।
2. पुस्तकों का संस्करण वर्ष 2021 से पूर्व का नहीं होना चाहिये। प्रत्येक पुस्तक पर संस्करण अंकित होना आवश्यक है।
3. पुस्तकों में संस्करण (प्रथम/द्वितीय/तृतीय.....) का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में कॉपी राईट की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित प्रकाशक की होगी।
4. प्रत्येक पुस्तक पर संस्करण वर्ष एवं पुस्तक का मूल्य अन्दर के पृष्ठ/बैक पृष्ठ पर अंकित होना चाहिये।

SNR

ey

5. छूट के सम्बन्ध में परिषद द्वारा गठितसमिति द्वारा बाजार में पुस्तकों की संख्या, गुणवत्ता, उपयोगिता, मार्केट रेट आदि को ध्यान में रखते हुये आवश्यक नेगोशिएशन किया जाएगा।
6. पुस्तक का प्रकाशन उच्च कोटि के कागज न्यूनतम 80 GSM एवं पृष्ठ कवर पेज न्यूनतम 300G.S.M तथा पुस्तकके शीर्षक पृष्ठ भाग पर अंकित होना चाहिए।
7. पुस्तक की स्टिचिंग मजबूत एवं उच्च स्तरीय होनी चाहिए।
8. पुस्तक के शब्दों की वर्तनी में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि शब्द/वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धि पायी गयी तो पुस्तक को चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। इस हेतु प्रकाशन को 100/- रुपये के स्टॉम्प पर शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. नमूना पुस्तकों के लिए ISBN नम्बर काराजाराम मोहन राय राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिप्रस्तुत की जानी आवश्यक है।
10. प्रस्तावित पुस्तकोंको ISBNनम्बर कोराजाराम मोहन राय राष्ट्रीय एजेन्सी की ISBNसाईट से ऑनलाईन मिलान किया जाएगा। मिलान के अभाव में चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. प्रत्येक प्रकाशक को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तक शीर्षकों की एक—एक प्रति नमूने के रूप में निःशुल्क जमा कराना अनिवार्य है। नमूने के लिये जमा की गयी पुस्तकें वापस (चयनित नहीं होने पर भी) नहीं की जायेगी (संलग्नः— प्रपत्र 01— प्रकाशक के सम्बन्ध में आवेदन पत्र)।
12. नमूने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली शीर्षकों की पुस्तकें सही संख्या में बंधी हुई एवं इसके ऊपर प्रकाशक का नाम, पता जमा की गयी कुल शीर्षकों (पुस्तक) की संख्या मय सूची तथा जारी की गई। नम्बर भी लिखा होना चाहिये।
13. नमूना पुस्तक/पुस्तकें अपने अग्रेषण पत्र पर पुस्तकों के साथ पुस्तक के संबंध में वांछित सूचना हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (एक्सेल शीट, हिन्दी में DevLys010 फॉन्ट साईज 14 एवं अंग्रेजी में Times new roman फॉन्ट साईज 12 में तैयार कर संलग्न प्रपत्र में निर्धारित तिथि तक ईमेल—smsa.asfe2021@gmail.comपर प्रेषित करेंगे। (संलग्नः प्रपत्र संख्या—02 अनुसार)

SMSA

ey

14. आदेशित पुस्तकों की आपूर्ति कार्यादेश से 90 दिनों के अन्दर 358ब्लॉक स्तर पर करनी होगी। पुस्तकों की विद्यालयवार एवं ब्लॉकवार वाटरप्रूफ पैकिंग करनी होगी।
15. निर्धारित अवधि में आपूर्ति नहीं करने अथवा आपूर्ति में विलम्ब होने पर वित्तीय एवम् लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार शास्ति लगाई जायेगी।
16. कार्यादेश के आपूर्ति उपरान्त चालान की प्रति के साथ विपत्र (बिल) प्रस्तुत करने के उपरान्त आपूर्ति की गयी पुस्तकों का जिलों से सत्यापनएवम् स्टॉक एन्ट्री प्राप्त की जाएगी। आपूर्ति की गई पुस्तकों में प्रयुक्त कागज के G.S.M की गुणवत्ता जांच कराने के लिये राष्ट्रीय स्तर के प्रयोगशाला से नमूना जांच के लिये आपूर्ति की गयी पुस्तकों में से पुस्तकों के चयन की कार्यवाही राज्य स्तरीय लाईब्रेरी पुस्तक चयनसमिति के निर्णयानुसार की जायेगी। नमूना जाँच की निर्धारित शुल्क राशि प्रकाशक द्वारा वहन की जाएगी, जिसकी कटौती प्रकाशक को की जाने वाली भुगतान राशि में से कर ली जाएगी।
17. आपूर्ति की गयी पुस्तकें मूल रूप से अंकित प्रकाशकों की ही होनी चाहिये। अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों पर पेज कवर बदल कर सप्लाई की गयी पुस्तकें स्वीकार्य नहीं होंगी। शिकायत पाये जाने पर RTPP Act. 2012/13 व सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
18. एक पैन कार्ड संख्या पर एक ही आवेदन स्वीकार्य होगा। पैनकार्ड की स्वयं द्वारा प्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
19. आवेदक पर यदि जीएसटी पंजीयन लागू नहीं होता है तो आवेदक इस आशय का सीए द्वारा प्रमाणित (मय सील, रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं यूडीआईएन) शपथ पत्र, ईओआई के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
20. कार्यादेश में आदेशित पुस्तकों का मिलान नमूना के समय उपलब्ध कराये गये सैम्प्ल के अनुरूप होना चाहिये। सैम्प्ल में उपलब्ध करायी गयी पुस्तकों से आपूर्ति करायी गयी पुस्तकों में गुणवत्ता एवं विषयवस्तु की भिन्नता पाये जाने पर अथवा स्टिकर लगे या चर्पा किये गये मूल्य की पुस्तकें स्वीकार नहीं की जायेगी। साथ ही पुरानी पुस्तकों पर नये मूल्य का पेज पाये जाने पर कार्यादेश निरस्त किया जायेगा एवं संबंधित प्रकाशन द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति राशि जब्त करने की कार्यवाही समान्य वित्तीय एवम् लेखा नियमानुसार की जाएगी।

SVR

ey

21. कार्यादेश प्राप्त होने पर नियमानुसार कुल आदेशित मूल्य का 5 प्रतिशत राशि का अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के नाम प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
22. कार्यादेश में वर्णित अवधि में यदि कोई प्रकाशक कार्य संपादन आदेश को पूर्ण अथवा आंशिक पालना में असफल रहेगा तो नियमानुसार प्रतिभूति की राशि जब्त करने की कार्यवाही वित्तीय एवम् लेखा नियमानुसार की जायेगी।
23. पुस्तकों ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने पर भौतिक सत्यापन के समय यदि पुस्तकों के पेज कटे-फटे या कुछ पेज गायब पाये जाते हैं तो ऐसी पुस्तकों के सैट मान्य नहीं होंगे। प्रकाशक को अवगत कराने के 10 कार्य दिवस की सीमा में उक्त सैटों का प्रतिस्थापन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा ऐसी पुस्तकों का मूल्य काटकर भुगतान किया जायेगा।
24. नमूना के रूप में प्रस्तुत की गयी पुस्तकों एवं आपूर्ति की गयी पुस्तकों में किसी प्रकार की भिन्नता (कवर पेज, कागज, पृष्ठ छपाई एवम् गुणवत्ता आदि) पाये जाने पर क्रय आदेश निरस्त किया जायेगा एवं संबंधित प्रकाशक के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
25. चयनित पुस्तक की प्रतियों में कमी/वृद्धि करने का अधिकार राज्य स्तरीय चयन/क्रय समिति का होगा।
26. वर्ष 2019–20, 2020–21 एवम् 2021–22 में से किसी एक वर्ष में 20 लाख का Turn Over (लेन–देन) होना आवश्यक है। इस बाबत् सनदी लेखाकार (C.A.) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
27. सशर्त कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा।
28. पुस्तक चयन के संबंध में सर्वाधिकार राज्य स्तरीय चयन/क्रय समिति का होगा।
29. पुस्तक चयन प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की पूछताछ/पड़ताल मान्य नहीं होगी। चयन के मामले में प्रकाशकों एवं संस्थाओं द्वारा यदि किसी प्रकार की लाबिंग/दबाव या किसी तरह से निर्णय को प्रभावित करने वाले पर RTPP Act.- 2012/13 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
30. यह विज्ञप्ति एवं इसके नियम व शर्त संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र जयपुर रिथ्त न्यायालय होगा।

5/12

24

31. चयनित आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों के पृष्ठकवर के अग्र भाग पर “समग्र शिक्षा, राजस्थान वर्ष 2023–24” अंकित करना होगा।
32. आवेदनकर्ता को आवेदन शुल्क के रूप में 10,000/- (दस हजार रुपये) का किसी भी अनुसूचित बैंक का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट (डी.डी.) राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के नाम अनिवार्य रूप से देय होगा। यद्यपि राशि अप्रतिदेय होगी।

SVS

ey

पुस्तकों के संबंध में

1. पुस्तकें मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, पर्यावरण से संबंधित, नैतिक, राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों, स्वरोजगार एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाली स्वावलम्बी बनाने वाली, देश भक्ति एवं महापुरुषों के प्रति आदर बढ़ाने वाली, प्रेरणादायी, बच्चों की तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान एवं विभिन्न कौशलों को विकसित करने वाली एवं राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, पर्व एवं प्रेरक जीवनियों की जानकारी देने वाली होनी चाहिये।
2. पुस्तकें विद्यार्थियों के शैक्षिक परिवेश, रूचियों, विषय संबंधित आवश्यकताओं एवं पढ़ने की क्षमताओं के अनुरूप कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9-10 एवं कक्षा 11-12 स्तर की होनी चाहिये।
3. पुस्तकें Story books एवं बालोपयोगी एवं कॉमिक्स 6-14 वर्ष के बच्चों में भाषा कौशल, लिखने एवं स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता, शब्द ज्ञान, सृजानात्मक, तार्किक सोच, गहन चिंतन के साथ स्वयं को परिवेश एवं वास्तविक जीवन से समन्वय स्थापित करने आदि का बढ़ावा देने वाली हों।
4. पाठ्यपुस्तक (Textbooks), संदर्भ पुस्तक (Reference Book) परीक्षा संबंधी पुस्तक एवं सामग्री पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. ऐसी पुस्तकें जो 18 वर्ष तक के बालकों के लिये उचित/उपयोगी नहीं हैं पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. प्रकाशकों द्वारा राजस्थान राज्य की रथानीय भाषा राजस्थानी एवं क्षेत्रीय भाषा हिन्दी की पुस्तकों के ही प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे। अन्य भाषा की पुस्तकें स्वीकार नहीं होंगी।
7. विद्यार्थियों के लिये प्रस्तुत पुस्तकों में ऐसा कोई भी शब्द या वाक्य नहीं होना चाहिये जो किसी जाति, धर्म या समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत एवं बच्चों की मनःस्थिति तथा चरित्र पर विपरीत प्रभाव डाले। पुस्तक के किसी अंश में उपरोक्त किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी/जवाबदेही प्रकाशक की होगी।

5/2

81

आवेदन पत्र
(प्रकाशक के संबंध में)

1. प्रकाशन का नाम :
2. पूर्ण पता (स्पष्ट अक्षरों में) :
पिन कोड.....
3. दूरभाष नम्बर / मोबाईल नम्बर :
4. ई-मेल आईडी :
5. प्रकाशन के स्वामी / भागीदार का पूरा नाम :
6. स्वामी / भागीदार का पूर्ण पता (स्पष्ट अक्षरों में) :
पिन कोड.....
7. दूरभाष नम्बर / मोबाईल नम्बर :
8. प्रकाशन / स्वामी का स्थायी लेखा संख्या / PAN:
9. प्रकाशन का बैंक एकाउंट नं. :
10. जीएसटी (GSTIN) नं. (यदि लागू ना हो तो आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :
11. वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 का टर्न ओवर (लेन-देन), C.A. से प्रमाणित :

12. बैंक का आईएफएससी कोड :
13. बैंक शाखा का नाम एवं पता :

14. प्रकाशक द्वारा जमा की गई नमूनार्थ शीर्षकों की कुल संख्या :

कक्षा	पुस्तक / शीर्षकों की संख्या	
	हिन्दी	राजस्थानी
1-5		
6-8		
9-10		
11-12		
कुल		

स्वामी / प्रकाशक के हस्ताक्षर
प्रकाशन की मुहर

निर्देश : यह परिशिष्ट प्रकाशन इकाई के स्वामी द्वारा पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर एवं मुहर सहित स्वयं के हस्ताक्षर कर पुस्तकों के नमूनों के साथ जमा किया जाना आवश्यक है।

SNZ

eY

भाषा - हिन्दी / राजस्थानी

पुस्तक सूची

प्रपत्र- 02

क्र. स.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक का नाम, पता एवं संस्करण	पृष्ठ संख्या	ISBN No.	विषय वर्ग	कक्षा स्तर	कक्षा स्तर	कक्षा स्तर	पुस्तक में प्रयुक्त कागज का विवरण	कवर पृष्ठ में प्रयुक्त कागज का विवरण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

स्वामी / प्रकाशक के हस्ताक्षर
प्रकाशन की मुहर

2023

प्रपत्र— 03

शपथ—पत्र का प्रारूप

प्रत्येक निजी प्रकाशक को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर
निम्नानुसार शपथ—पत्र देना होगा:—

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि —

मैं पुत्र/पुत्री श्री पता
..... को

- EOI की सभी शर्तें मान्य हैं।
- नमूने के तौर पर जमा करवायी गयी पुस्तकों पर अंकित आईएसबीएन नम्बर का किसी अन्य पुस्तक में उपयोग नहीं किया गया है।
- नमूना पुस्तक पर अंकित मूल्य से कम अंकित मूल्य दर्शाते हुए उस नमूना पुस्तक का कहीं पर भी विक्रय नहीं किया गया एवं पुस्तकों में दी जा रही छूट से अधिक किसी को नहीं दी गई तथा न ही दी जायेगी, के सम्बन्ध में।
- नमूने के तौर पर जमा करवाई गयी पुस्तकों पर अंकित आईएसबीएन नम्बर का किसी अन्य पुस्तक में उपयोग नहीं किया गया है।
- शब्द/वर्तनी त्रुटि सम्बन्धी अशुद्धि पाए जाने पर परिषद का निर्णय मान्य होगा।
- प्रस्तुत की गई नमूना पुस्तक पर अंकित मूल्य से कम अंकित मूल्य दर्शाते हुए उस नमूना पुस्तक का कहीं पर भी विक्रय नहीं किया गया है।
- आपूर्ति की जा रही पुस्तकों पर दी जा रही छूट से अधिक छूट किसी को नहीं दी गई है तथा न ही दी जायेगी, यदि किसी क्रेता को दी जाती है और इसकी जानकारी विभाग (परिषद) को होती है तो पुस्तकों पर दी गयी अधिकतम छूट को मान्य करते हुये भुगतान किया जावें।

SVA

हस्ताक्षर
(शपथ कर्ता)

मय नाम

MF फर्म का नाम

पता

मोबाईल नं०